संचिका सं0–4522 / 4 / 28 / 2022

दिनांक : 25.01.2023

आवेदक से प्राप्त आवेदन की गंभीरता को देखते हुए तथा आरक्षी अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए इसे अपर पुलिस महानिदेशक एवं निबंधक, राज्य आयोग की संयुक्त समिति बनाते हुए विस्तृत जाँच हेतु भेजा गया था। संयुक्त जाँच समिति का प्रतिवेदन(पृष्ठ–28–30 / प0) प्राप्त है।

उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक से प्राप्त आवेदन, पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक(मु0), रोहतास से प्राप्त प्रतिवेदन तथा जाँच के क्रम में प्राप्त सी0सी0टी0वी0 फुटेज का अवलोकन करते हुए एवं पु0अ0नि0 मनीष कुमार शर्मा से पूछताछ करते हुए तथा अन्य कागजातों का अवलोकन करते हुए उपरोक्त संयुक्त जाँच समिति ने अपने निष्कर्ष में निम्नलिखित बातें कही है:–

"उपरोक्त प्रकाश में आये तथ्यों एवं समीक्षा से स्पष्ट होता है कि वाद के पीड़ित श्री संजय कुमार विश्वकर्मा के साथ नौहट्टा थाना के पु0अ0नि0 मनीष कुमार शर्मा द्वारा गाली–गलौज एवं धक्का–मुक्की की घटना कारित की गई, जिसकी पुष्टि पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय–1, रोहतास के जाँच प्रतिवेदन से भी होता है।

समीक्षा से यह भी पाया गया है कि वाद के पीड़ित संजय कुमार विश्वकर्मा को नौहट्टा थाना बुलाये जाने एवं थाना से मुक्त किये जाने से संबंधित पी0आर0 बॉण्ड नहीं बनाया गया और न ही उक्त आशय की प्रविष्टि थाना दैनिकी में अंकित किया है। हालाँकि उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी पु0अ0नि0 मनीष कुमार शर्मा, नौहट्टा थाना के विरुद्ध निलंबन एवं रोहतास जिला विभागीय कार्यवाही सं0–51 / 2022 की कार्रवाई की गई है। वर्तमान में उक्त पु0अ0नि0 निलंबन से मुक्त है।

यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय–1, रोहतास द्वारा जाँच के क्रम में पाया गया कि घटना के समय ओ0डी0 ड्यूटी में स्वयं थानाध्यक्ष, पु0अ0नि0 संजय कुमार रजक थे, परन्तु थाना से अनुपस्थित रहने के क्रम में थाना परिसर में घटना घट जाती है और थानाध्यक्ष को कानोकान खबर भी नहीं होती है, जो थानाध्यक्ष का लापरवाही का परिचायक है।

इसी प्रकार अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, डिहरी द्वारासी0सी0टी0वी0 कार्यरत नहीं रहने के संबंध में समर्पित जाँच प्रतिवेदन में नौहट्टा थाना में लगे सी0सी0टी0वी0 को चालू नहीं रखने, खराब होने की लिखित सूचना संबंधित को नहीं दिये जाने तथा उक्त संबंध में थाना दैनिकी में सनहा अंकित

नहीं करने संबंधी बरती गई लापरवाही के लिए थानाध्यक्ष, नौहट्टा पु0अ0नि0 संतोष कुमार रजक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

अतः समीक्षोपरान्त परिवाद पत्र में वर्णित घटना में दोषी पाये गये पु0अ0नि0 मनीष कुमार शर्मा के विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही को पर्याप्त माना जा सकता है।

इसके अतिरिक्त वाद में घटित घटना में बरती गई लापरवाही एवं अपने कनीय कर्मियों पर नियंत्रण नहीं रखने के लिए थानाध्यक्ष, नौहट्टा पु0अ0नि0 संतोष कुमार रजक की Vacarious Liability बनती है। साथ ही अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, डिहरी द्वारा सी0सी0टी0वी0 चालू नहीं रखने के आरोप में थानाध्यक्ष, नौहट्टा पु0अ0नि0 संतोष कुमार रजक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के अनुशंसा पर पुलिस अधीक्षक, रोहतास के द्वारा की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन अप्राप्त है, जिस पर अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की जा सकती है।"

आवेदक के द्वारा दायर किये गये आवेदन जिसके द्वारा एक शिक्षक संजय कुमार विश्वकर्मा से पु0अ0नि0 मनीष कुमार शर्मा द्वारा मारपीट व अपमानजनक व्यवहार कर गंभीर रूप से जख्मी करने तथा उनके द्वारा वीडियोग्राफी बनाने पर लॉकअप में बंद कर दिये जाने आदि तथ्यों का उल्लेख किया गया है। यह भी कहा गया है कि उनके आरोप को प्रारंभिक जाँच में पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय के द्वारा प्रथम दृष्टया सत्य पाया गया है।

संयुक्त जाँच समिति के प्रतिवेदन से भी यह स्पष्ट होता है कि आवेदक संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित होकर उनके दिव्यांग होने से संबंधित प्रमाण पत्र एवं घटना की तिथि–11.07.2022 को आई चोटों का उसी दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौहट्टा तथा उसके बाद रेफरल अस्पताल, नौहट्टा में कराये गये इलाज से संबंधित पुर्जा उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि घटना की तिथि–11.07.2022 को नौहट्टा थाना के पु0अ0नि0 मनीष कुमार शर्मा के बुलाये जाने पर ये थाना गये थे तथा उनके द्वारा पूछा गया कि क्यों बुलाया गया है, तो उक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा उनके साथ गाली–गलौज करते हुए लात घूसे से मारपीट करने लगे तथा मारते हुए थाना के बैरेक में ले जाकर काफी मारपीट की गई और 4 घंटे तक बैरेक में रखा गया। मारपीट के कारण उनके आँख से देखने तथा कान से सुनने की क्षमता कम हुई है।

जाँच समिति ने भी आवेदक को नौहट्टा थाना के पु0अ0नि0 मनीष कुमार शर्मा के द्वारा गाली–गलौज एवं धक्का–मुक्की की घटना की जिसकी पुष्टि पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय–1 के जाँच प्रतिवेदन से किये जाने की बात कही है। जाँच समिति ने यह भी कहा है कि पीड़ित को मुक्त किये जाने से संबंधित पी0आर0 बॉण्ड नहीं बनाया गया है और न ही इसकी प्रविष्टि थाना दैनिकी में की गई

है। यह भी कहा गया है कि सी0सी0टी0वी0 के खराब रहने की लिखित सूचना संबंधित पदाधिकारी को नहीं दी गई और न ही थाना दैनिकी में अंकित की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पु0अ0नि0 मनीष कुमार शर्मा के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई एवं थानाध्यक्ष, संतोष कुमार रजक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्टतः पीड़ित श्री संजय कुमार विश्वकर्मा दिव्यांग शिक्षक को मारपीट एवं अमानवीय व्यवहार किये जाने तथा बैरेक में रखे जाने का मामला है, जो पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग का मामला है और मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है, जिसके लिए वे क्षतिपूर्ति अनुदान के हकदार है। अतः कार्यालय मुख्य सचिव, बिहार सरकार को इस संबंध में कारण पृच्छा नोटिस जारी करें कि पीड़ित के विरुद्ध हुए मानवाधिकार उल्लंघन के मामले को लेकर क्यों नहीं पीड़ित को क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में 50 हजार रुपये दिया जाय।

कारण पृच्छा 8 सप्ताह के अन्दर समर्पित करने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव एवं आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना को भेजते हुए दोषी पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाते हुए उन्हें नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक–19.05.2023 को कारण पृच्छा एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson